



श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल (टिहरी गढ़वाल) उत्तराखण्ड-२४६१६६
Sri Dev Suman Uttarakhand University
Badshahithaul (Tehri Garhwal) Uttarakhand - 249199

पत्रांक:- 3082/आ0ओ0/एसडीएसयूवी/2026

दिनांक: 23 सितम्बर, 2026

सेवा में,

1. निदेशक,
पं0ल0मो0शर्मा परिसर, ऋषिकेश/चन्द्रबदनी नैखरी/गोपेश्वर।
2. समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय/अशासकीय महाविद्यालय,
सम्बद्ध,
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

विषय- छात्र संघ चुनाव 2026-27 के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या- 3067 दिनांक 23 सितम्बर, 2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, सन्दर्भित पत्र के माध्यम से दिनांक 23 सितम्बर, 2026 के अपराह्न में 12:30 बजे आहूत बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था जिसे विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की संस्तुति (संलग्न) एवं मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

अतः उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भावदीय,

(दिनेश चन्द्रा),
कुलसचिव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव कुलपति को, मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

(दिनेश चन्द्रा),
कुलसचिव।

कार्यवृत्त

आज दिनांक 23.09.2026 को छात्र संघ निर्वाचन सत्र 2026-27 के सन्दर्भ में एक विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की अति आवश्यक बैठक सांय 06:00 बजे ऑनलाईन माध्यम से आहूत की गयी जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे :-

1. प्रो० एम० एस० रावत, निदेशक, पं०ल०मो०शर्मा परिसर, ऋषिकेश।
2. प्रो० हेमलता मिश्रा, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, पं०ल०मो०शर्मा परिसर, ऋषिकेश।
3. प्रो० वी० के० गुप्ता, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पं०ल०मो०शर्मा परिसर, ऋषिकेश।
4. प्रो० सी० एस० नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पं०ल०मो०शर्मा परिसर, ऋषिकेश।
5. श्री दिनेश चन्द्रा, कुलसचिव, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय।

छात्र संघ निर्वाचन 2026-27 हेतु निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

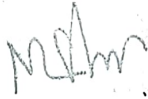
विश्वविद्यालय के परिसरों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में दिनांक 22.09.2026 को छात्र संघ चुनाव के सम्बन्ध में सांय 04:00 बजे अधिसूचना जारी होने के पश्चात चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है तथा चुनाव आचार संहिता के लागू होने के पश्चात छात्र संघ चुनाव के सम्बन्ध में कोई भी नवीन निर्णय नहीं लिया जा सकता है। समिति द्वारा दिनांक 23.09.2026 को आहूत बैठक में लिये गये निर्णय को तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।



(दिनेश चन्द्रा),

कुलसचिव,

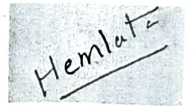
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड
विश्वविद्यालय।



प्रो० (एम० एस० रावत),

निदेशक,

पं०ल०मो०शर्मा परिसर,
ऋषिकेश।



प्रो० (हेमलता मिश्रा),

अधिष्ठाता छात्र कल्याण,

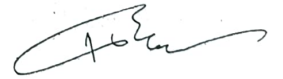
पं०ल०मो०शर्मा परिसर, ऋषिकेश।



प्रो० (वी० के० गुप्ता),

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

पं०ल०मो०शर्मा परिसर,
ऋषिकेश।



प्रो० (सी० एस० नेगी),

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

पं०ल०मो०शर्मा परिसर, ऋषिकेश।